

प्रारूप घ
(देखिये नियम 6 का उपनियम 6)
विकास परमिट के अन्तिम अनुमोदन के लिये प्रारूप

प्रेषक,

नियत प्राधिकारी,
विनियमित क्षेत्र,
शाहजहाँपुर।

सेवा में,

श्री किशन अग्रवाल,
डायरेक्टर
मै0सनइन्फ्रा सर्विसेज प्रा0लि0
एवं सन एसोसियेट,
लोधीपुर, शाहजहाँपुर।

महोदय,

ग्राम लोधीपुर एवं रसूलपुर जहानगंज तहसील सदर, जनपद शाहजहाँपुर स्थित कालोनी में खसरा नं० 339पी,340/1पी,340/1/2पी,340/4पी,340/5पी,340/8पी,340/11पी,344पी,345,353,354 एवं 95, 118,119,120,121,122,124,125,126,129,131,132,133,134,135,136,137,138,140,145,148,149,150,152,153, 198,199,200,204,206 एवं पार्ट खसरा नं० 96,117,130 ई0डब्लू0एस0 एवं एल0आई0जी0 भूमि के विकास की अनुज्ञा के लिये आपके आवेदन पत्र संख्या 12/2017-18 दिनांक 3-4-2017 के संदर्भ में आपके पक्ष में पूर्व में स्वीकृत तलपट मानचित्र संख्या 364(संशोधित)/2013-14 दिनांक 18-1-2014 को निम्नांकित शर्तों के अधीन रहते हुये, स्वीकृत किया जाता है:-

- 1- विन्यास मानचित्र की स्वीकृति की वैधता अवधि आर0बी0ओ0एक्ट 1958 के प्राविधानानुसार स्वीकृति के दिनांक से 5 वर्ष रहेगी। तदोपरान्त, नियमानुसार नवीनीकरण हेतु आवेदन करना होगा एवं विकास कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्य की लिखित सूचना प्रपत्र ज पर अद्योहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करनी होगी।
- 2- कपट से प्राप्त अनुमति को किसी भी समय बिना पूर्व सूचना दिये निरस्त किया जा सकता है।
- 3- भूमि का स्वामित्व सिद्ध करने के लिये इस नक्शे का प्रयोग किसी भी न्यायालय/कार्यालय में वैध नहीं समझा जायेगा।
- 4- विन्यास मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत किया गया है, भूमि को उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
- 5- स्वीकृत विन्यास मानचित्र का एक सैट सदैव स्थल पर रखना होगा ताकि मौके पर किसी भी अधिकारी द्वारा जाँच की जा सके। निर्माण मानचित्र में अंकित स्पेसीफिकेशन के अनुसार ही कराना होगा तथा कार्य का पर्यवेक्षण अधिकृत व्यक्ति से नियमित रूप से कराया जायेगा। विकास कार्यों के स्थायित्व की जिम्मेदारी आवेदक की होगी। सड़क, सर्विस लेन, अथवा सरकारी भूमि पर किसी प्रकार की कोई निर्माण सामग्री एकत्रित नहीं की जायेगी।
- 6- प्रस्तावित विन्यास मानचित्र के आधार पर, आपके द्वारा प्राप्त कराई गई सूचना के अनुसार श्री अनुपम सक्सेना, आर्किटेक्ट द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्र के आधार पर विकास कार्य का पर्यवेक्षण नियमित रूप से कराया जायेगा।

निरन्तर.....2

